पत्रांक–2/यो०–5006/2019–
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

अनोंपचारिक रूप से आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित

प्रेषक,
राम रूप प्रसाद
सरकार के अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में
महालेखाकार, बिहार,
(ले० एवं ह०),वीरचन्द्र पटेल पथ,
बिहार,पटना ।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– केन्द्र प्रायोजित ''नेशनल कैरियर सर्विस'' स्कीम अंतर्गत Mission Mode Project For Interlinking Of Employment के तहत बिहार राज्य के नियोजनालयों के लिए IT Equipment, Job Fair एवं Refurbishing हेतु केन्द्रांश मद में उपबंधित ₹ 8,40,00,000/–एवं राज्यांश मद में उपबंधित ₹ 5,60,00,000/– कुल उपबंधित राशि ₹ 14,00,00,000/–(रूपये चौदह करोड़) मात्र में से केन्द्रांश मद में ₹ 8,39,99,000/–एवं राज्यांश मद में ₹ 5,59,99,000/–कुल राशि ₹13,99,98,000/–(रूपये तेरह करोड़ निन्यानवे लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय पर शेष बचे कार्यो को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 932 दिनांक–11.09.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्र प्रायोजित ''नेशनल कैरियर सर्विस'' स्कीम अंतर्गत Mission Mode Project For Interlinking Of Employment के तहत बिहार राज्य के नियोजनालयों के लिए IT Equipment, Job Fair, Refurbishing, नये मॉडल कैरियर सेन्टर के स्थापना एवं मानदेय का भुगतान हेतु कुल राशि ₹ 16,66,67,000/–(रूपये सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त कार्यक्रम को जारी रखते हुए केन्द्रांश मद में ₹ 8,39,99,000/–एवं राज्यांश मद में ₹ 5,59,99,000/– कुल उपबंधित राशि ₹ 13,99,98,000/–(रूपये तेरह करोड़ निन्यानवे लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय पर शेष बचे कार्यो को पूर्ण करने हेतु निम्न प्रकार स्वीकृति दी जाती हैः–

(A). केन्द्रांश मद में उपबंधित ₹1,00,00,000 /– (एक करोड़) एव राज्यांश मद मे उपबंधित ₹60,00,000 /– (साठ लाख) कुल ₹ 1,60,00,000 (एक करोड़ साठ लाख) मात्र के व्यय पर शेष बचे राज्य के नियोजनालयों को Interlinking of Employment Exchanges to the National Career Service Portal से जोड़ने हेतु IT Equipment जैसे डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, एम०एफ०डी०एस०, इत्यादि का क्रय किया जायगा एवं ब्राडबैन्ड कनेक्टविटी का अधिष्ठापन कार्यालयों में किया जायगा। इस कार्य हेतु प्रत्येक कार्यालय को स्वीकृत ₹ 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र में से पूर्व में किये व्यय अथवा व्यय नहीं किये जाने वाले नियोजनालय कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा साथ ही उपबंधित राशि से नये मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना पर भी व्यय किया जायेगा।

(B) केन्द्रांश मद में ₹ 5,89,99,000 /– (पाँच करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार) एव राज्यांश मद मे ₹ 3,99,99,000 /– (तीन करोड निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) कुल उपबंधित राशि ₹9,89,98,000 (नौ करोड़ नवासी लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय पर राज्य के नियोजनालयों द्वारा जिलास्तरीय Job Fair का आयोजन किया जायेगा । प्रमंडल/जिला स्तरीय आयोजित प्रत्येक Job Fair के लिए प्रति कार्यालय ₹ 2,00,000/–(रूपये दो लाख) मात्र की दर से राशि का आवंटन नियोजनालयों/कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दिया जायेगा।

इस राशि से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के वित्तीय वर्ष 2018–19 में बकाया राशि का भी भुगतान किया जायेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को भुगतान करने के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश में ₹ 1,50,00,000/– (रूपये एक करोड पचास लाख) मात्र की राशि निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा।

(C) केन्द्रांश मद में उपबंधित राशि ₹ 1,50,00,000 /– (एक करोड़ पचास लाख) एव राज्यांश मद मे राशि उपबंधित ₹ 1,00,00,000 /– (रूपये एक करोड़) कुल ₹ 2,50,00,000 (दो करोड़ पचास लाख) मात्र के व्यय पर राज्य के नियोजनालयों में Refurbishing के कार्य हेतु प्रत्येक कार्यालय को स्वीकृत ₹ 5,00,000/– (पाँच लाख) मात्र में से पूर्व में किये व्यय अथवा व्यय नहीं किये जाने वाले नियोजनालय कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा। साथ ही उपबंधित राशि से नये मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना पर भी व्यय किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

2. इस स्कीमन्तर्गत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष–02–रोजगार सेवाएँ, लघु शीर्ष–101–रोजगार सेवाएँ, उप शीर्ष–0214/0314–''नेशनल कैरियर सर्विस'',केन्द्रांश/राज्यांश मद में उपबंधित राशि माँग संख्या–26, केन्दांश विपत्र कोड–26.2230.02.101.0214 एवं राज्यांश विपत्र कोड– 26.2230.02.101.0314 के कंडिका 'A' हेतु विषय शीर्ष–''0214/0314 52.01''–मशीने एवं उपस्कर, कंडिका–'B' हेतु विषय शीर्ष–''0214/0314 .20.02''–कॉन्फ्रेंस कार्यशाला सेमिनार,एवं कंडिका– 'C' हेतु विषय शीर्ष–''0214/0314 .21.01''–सामग्री एवं पूर्तियॉ मद से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सभी अवर प्रादेशिक नियोजनालय के लिए सहायक निदेशक (नियोजन), सभी जिला नियोजनालाय के लिए जिला नियोजन पदाधिकारी, सभी विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रो के लिए नियोजन पदाधिकारी एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियेाजन) मुख्यालय, बिहार, पटना के लिए सहायक निदेशक (नियेाजन), मुख्यालय, बिहार, पटना होंगे।

4. उपबंधित राशि से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के बकाया राशि अथवा भविष्य में जो भी भुगतान किया जाय को विस्तृत व्यय विवरणी प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के पश्चात भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

5. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार, से की जाएगी।
6. राशि का व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत सीमित रखा जायेगा।
7. इस स्कीम हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपबंधित है।
8. केन्द्रांश मद में राशि का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा राशि Revalidition के उपरांत किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन पृ0–09/टि0 पर प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन पृ0– 19/टि0 पर प्राप्त है।
11. प्रस्ताव में आंतरिक वितीय सलाहकार का सहमति पृ०–19/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/

(राम रूप प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2/यो०–5006/2019– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपि– राज्य के सभी जिलों के जिला कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जला पदाधिकारी /सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन), मुख्यालय सहित/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी (विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों सहित)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/
सरकार के अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2/यो०–5006/2019– 1144 पटना–01, दिनांक– 06-11-19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री,श्रम संसाधन विभाग, बिहार,पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव /आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार, पटना के आप्त सचिव/ वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /श्री राजमुनी, सहायक निदेशक (नियोजन), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, 3/10 जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011/लेखा शाखा/स्टेशनरी पटल, निदेशालय नियोजन, मुख्यालय/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।